# (TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

# GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT) 8th Level, 'C' Wing, Delhi Secretariat, New Delhi

No.F.14(5)/LA-2003/1156

Dated the 25th July, 2003

#### NOTIFICATION

No.F.14(5)/LA-2003/ - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 13-7-2003 and is hereby published for general information.

"The Industrial Disputes (Delhi Amendment) Act, 2003 (Delhi Act No.9 of 2003)".

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, on 3-4-2003)

An Act to amend the Industrial Disputes Act, 1947 in its application to the National Capital Territory of Delhi.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement.

- 1. (1) This Act may be called the Industrial Disputes (Delhi Amendment) Act, 2003.
- (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- (3) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi may, by notification in the official Gazette, appoint.

Amendment of section 10.

In section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), in its application to the National Capital Territory of Delhi, after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely: -

" (4A) Notwithstanding anything contained in section 9C and in this section, in the case of a dispute falling within the scope of section 2A, the individual workman concerned may, within twelve months from the date of communication to him of the order of discharge, dismissal, retrenchment or termination or the date of commencement of the Industrial Disputes (Delhi Amendment) Act, 2003, whichever is later, apply in the prescribed manner, to the Labour Court or the Tribunal, as the case may be, for adjudication of the dispute and the Labour Court or Tribunal, as the case may be, shall dispose of such application in the same manner as a dispute referred under sub-section (1)."

Sd/(P.S. PARMAR)
Deputy Secretary (Law, Jus. & LA)
Govt. of NCT of Delhi,
New Delhi.

- श्रमायुक्त, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5शामनाथ मार्ग, दिल्ली-54।
- मुख्य सचिव दिल्ली के विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिल्ली, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली 54। 10.
- 11.
- सा त पीठासीन अधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण /श्रम न्यायालय, कड़कड़डुमा 12. कोर्ट, दिल्ली।
- पी.एच.डी. चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स नई दिल्ली एवं दिल्ली स्थित समस्त नियोजकों के 13. संगठन/फेडरेशन।
- दिल्ली स्थित समस्त केन्द्रीय श्रम संगठन। 14.
- 15.
- समस्त संयुक्त श्रमायुक्त / उप-श्रमायुक्त / सहायक श्रमायुक्त / श्रम अधिकारी। सहायक निदेशक योजना श्रम विभाग, दिल्ली सरकार को कार्यालय के वेवसाइट में 16. सम्मलित करने हेतु।
- लाइब्रेरियन, श्रम विभाग, दिल्ली सरकार । 17.
- 18. गार्ड फाईल।

उप सचिव (श्रम)

### (दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग 4 में प्रकाशन हेत्) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार श्रम विभाग शामनाथ मार्ग, दिल्ली—110054.

, दिल्ली 22अगस्त, 2003

## अधिस्चना

औद्योगिक विवाद (दिल्ली संशोधन ) एफ. सं. 15/4/सं.श्र.आ. (वि.)/श्र./03/12/1-अधिनियम, 2003,(दिल्ली अधिनियम 2003 का 9)की धारा 1 की उपधारा (3)द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ऐतत् हारा 22 अगस्त 2003 से उक्त अधिनियम हैं लागू होने की तिथि नियुक्त करते हैं।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> > (जे.सी. नेगी) उप सचिव (श्रम)

एफ. सं. 15/4/सं.श्र.आ. (वि.)/श्र./03/2821

दिल्ली, 22अगस्त, 2003

#### प्रतिलिपि प्रेषितः

- सचिव, श्रम मंत्रालय भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली। 1.
- उप सचिव-यु.टी.एल. गृष्ट मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। 2
- ुन राज्यपाल दिल्ली के सचिव, राज निवास, दिल्ली 54।
- सचिवं, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली। 4.
- मुख्यमंत्री दिल्ली के सचिव, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली। 5.
- उप सचिव, (सा.प्र.वि./समन्वय) रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को हिन्दी की एक अतिरिक्त प्रति एवं अंग्रजी की दो प्रतिथि। सहित राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशन हेतु एवं उसकी 25 प्रतियां मिजवाने के अनुरोध सहित।
- सचिव, (विधि, न्याय एवं विधायी मामले) रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय 7. नई दिल्ली।
- श्रम मंत्री दिल्ली के सचिव, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।